मध्यप्रदेश राज्य

बनाम

मुन्नी बाई व अन्य

अगस्त 28, 2008

**[डॉ. अरजीत पसायत, पी. सदाशिवम और आफताब आलम, जेजे.]**

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 :

धारा 302/34 और 328/34 - जहर देकर हत्या - विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध - उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त - निर्णय : अभियुक्त द्वारा जहर दिया जाना साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं होना उच्च न्यायालय ने सही माना - गवाह जिसने, मृतक सहित तथाकथित जहरीला खाना साझा किया था, को खाने के बारे में कोई जानकारी नहीं - गवाह व मृतक द्वारा साझा भोज सामग्री की कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच नहीं हुई - इसके अतिरिक्त अपराध कारित करने का उद्देश्य अनुचित प्रतीत होता है - उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय बरकरार रखा गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1298/2002

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 361/1989 में पारित के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 25-01-2001 से।

विश्वजीत सिंह, सिद्धार्त सेंगर, सन्नी चौधरी, वी वर्धान, आदित्य सिंह और सी.डी. सिंह अपीलार्थी की और से।

बी. के. सतीजा प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का यह आदेश दिया गया, डॉ. अरजीत पसायत, जे.

दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्यर्थीगण मुन्नीबाई और गेंदालाल को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302, 328 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा-दं-सं-) के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने पर अन्वीक्षा भुगती गई है। अपर सत्र न्यायाधीश, गदरवाड़ा द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर आजीवन कारावास और 5 साल की सजा सुनाई गई।

प्रकरण के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः-

मुन्नीबाई (पीडब्लू-3) एक पेशेवर नर्तकी है और घटना की तारीख से पहले, वह तीरथ सिंह (निर्णय में मृतक के रूप में संदर्भित) के साथ निवास करती थी। अभियुक्त गेंदालाल और अभियुक्त मुलायम सिंह (मफरूर) चाहते थे कि मुन्नीबाई उनके साथ रहे, परंतु मुन्नीबाई ऐसा नहीं चाहती थी। जब मुन्नीबाई मृतक तीरथ सिंह के साथ रह रही थी, तब अभियुक्त गेंदालाल और अभियुक्त मुलायम सिंह गांव आए और उन्हें गांव में नृत्य समारोह के लिए आमंत्रित किया। उनके निमंत्रण पर, मृतक और मुन्नीबाई ग्राम सिरसिरी आए, जहां उन्हें शंकर बरुआ के घर पर रखा गया। वहां उन्होंने खाने में रोटी और दाल खाई; जो गेंदालाल और अभियुक्त मुलायम सिंह द्वारा लाया गया था, रात में शंकर बरुआ के घर में ही रात बिताई। सुबह मुन्नीबाई (पीडब्लू-3) ने उड़िया गांव जाना चाहती थी, परंतु अभियुक्त मुलायम सिंह ने उसे रोका और कहा कि नृत्य और गीत कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। दोपहर के समय अभियुक्त मुलायम सिंह, उसे व मृतक तीरथ सिंह को गेंदालाल के घर खाना खिलाने के लिए ले गया। मुन्नीबाई और मृतक तीरथ ने गेंदालाल के घर पर खाना खाया और वहीं पर सो गये थे। शाम को जब

वे उठे तो मृतक और अभियुक्तगण ने 'गांजा पिया और 'ठंडाई' पी। तत्पश्चात, अभियुक्तगण मुलायम सिंह और गेंदालाल सिंह दो प्लेटें खाना की लेकर आए जिनमें 'हलुआ' भी था। जब पीडब्लू 3 मुन्नी बाई ने हलुआ खाया, उसका स्वाद सही नहीं था और उसके बाद उसने और हलुआ नहीं खाया। खाना खाने के बाद, मृतक तीरथ सिंह और मुन्नीबाई बेहोश हो गए और तत्पश्चात, उन्हें अभियुक्तगण गेंदालाल और मुलायम सिंह ने शंकर बरुआ के आवास पर ले गए और तत्पश्चात (भगवत सिंह) पीडब्लू-3 के घर ले गए। वहां से, मृतक को ग्राम उड़िया घाट तक बैलगाड़ी से ले जाया गया। जब उसे उसके भाई (खेत सिंह) पीडब्लू-12 द्वारा उदयपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसकी मृत्यु हो गई और शव को उदयपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सूचना गांव में दर्ज की गई और उसे साईंखेड़ा पुलिस थाना भेज दिया गया, जिसके आधार पर धारा 328 और 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया।

अनुसंधान के दौरान, तीरथ सिंह के शव को शव-परीक्षण के लिए भेजा गया, जो डॉक्टर नरेंद्र कुमार पलोड़ (पीडब्ल्यू 19) द्वारा किया गया। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तीरथ सिंह की मौत श्वसन और रक्तवाही विफलता के कारण हुई थी और संभवतः जहर के कारण हुई थी। मृतक का आंत रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर, भेजा गया। इसमें जिंक फास्फाइड पाया गया। पुलिस ने अनुसंधान कर अपीलार्थीगण और मुलायम सिंह (मफरूर) के विरूद्ध धारा 328 और 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। अपीलार्थीगण ने कोई भी अपराध करने से इनकार किया है और उनकी तर्क है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।

चूंकि अपीलकर्ता ने कोई भी अपराध करने से इनकार किया और झूठा आरोप लगाने का तर्क दिया है, इसलिए विचारण आयोजित किया गया। अपने मामले को आगे

बढ़ाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों से पूछताछ की। मुन्नीबाई (पीडब्लू-3) को मुख्य गवाह बताया गया था। उसकी गवाही यह थी कि मृतक और उसे खाना अभियुक्तगण और एक मुलायम सिंह, जो फरार हो गया था, द्वारा परोसा गया था। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 3 के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया और दोषी ठहराने का निर्देश दिया और ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई। अभियुक्तगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करने का निर्देश देने का प्राथमिक कारण यह था कि यह कल्पना से परे था कि अभियुक्त मुन्नीबाई उस योजना में पक्षकार होगी कि जहां उसका पति मुन्नीबाई (पीडब्लू 3) को अपने साथ रखेगा। यह भी असंभव पाया गया कि मफरूर अभियुक्त मुलायम सिंह और गेंदालाल का मुन्नीबाई (पीडब्ल्यू 3) को अपने साथ रखने का सामान्य उद्देश्य होगा, जबकि उनमें से एक की शादी अभियुक्त मुन्नीबाई से हुई थी। जहां तक जहर देने का प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने पाया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि किसी भी अभियुक्त ने जहर दिया था। मुन्नीबाई (पीडब्ल्यू 3) की साक्ष्य इस आशय की थी कि हलुआ में जहर मिलाया गया था और उसे स्वाद सही नहीं लगा और उसने उसे दिया गया पूरा हलुआ नहीं खाया, परंतु मृतक द्वारा पूरी मात्रा में हलुआ, जो उसे दिया गया, ले लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे नहीं पता कि हलुआ कहां से आया। दिलचस्प बात यह है कि हलुआ की कोई फोरेंसिक जांच नहीं की गई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पीडब्लू 3 द्वारा जहर था और जिसे मृतक ने साझा किया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

अपील खारिज।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **अभिलाषा जेफ (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।